

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक 27 APR 2017


आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 13 (iii) के परन्तुक व विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16.04.2010 के बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार, "आवासीय या गैर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए आवंटन अथवा नीलामी द्वारा प्राप्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन, आवंटन/नीलामी से भूमि प्राप्ति के 5 वर्ष पूर्व नहीं किया जायेगा" का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-


"भविष्य में नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्डों का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के लिये यह आवश्यक होगा कि नीलामी के समय नीलामी की शर्तों में यह उल्लेख किया जावे कि नीलामी से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन के प्रचलित नियमों के प्रावधानानुसार निर्धारित राशि ली जाकर भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।"

उक्त प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ याचिका संख्या 1554/04 श्री गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में हुए आदेश दिनांक 12.01.2017 के अध्याधीन रहेंगे।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम